खण्ड-165, अंक-1
शुक्रवार, 28 माघ, शक संवत् 1877
(17 फरवरी, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 165 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

130921
22 MAY 1956
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

विधान परिषद् के श्री सभापति तथा विधान सभा के श्री अध्यक्ष के साथ श्री राज्यपाल विधान मण्डल के समक्ष अभिभाषणार्थ दिन के ११ बजे सभा मण्डप, लखनऊ में पधारे।

विधान सभा के निम्नलिखित ३५४ सदस्य उपस्थित थे—

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर , श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
* टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पालीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)

* श्री टीका राम ने १७ फरवरी, १९५६ को १० बजकर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के कमरे में शपथ ग्रहण की।

बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री

रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री

सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों को श्री राज्यपाल का अभिभाषण

विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल ने इस प्रकार अभिभाषण किया—

विधान परिषद् के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष महोदय तथा दोनों सदनों के सदस्यगण,

मुझे इस वर्ष फिर आपको सम्बोधन करने का अवसर मिला, इससे मुझे बहुत खुशी है। इस विधान मंडल के चार वर्षों की छोटी-सी अवधि पूरी हुई। साथ-साथ पंचवर्षीय योजना के भी चार वर्ष पूरे हुये। इस समय मैं आप लोगों ने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, उसको स्थापित करने में, साहसपूर्ण कदम उठाया है। आपके प्रयत्नों की कसौटी तो यही होगी कि संविधान में निश्चित किये गये उद्देश्यों को आपने कहां तक सिद्ध किया है ? आप जानते हैं कि वह कसौटी है न्याय, स्वतंत्रता और समता की प्राप्ति तथा बन्धुता की वृद्धि, जिससे व्यक्ति का गौरव, और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित बने।

मुझे विश्वास है कि आपको यह जानकर संतोष होगा कि पिछले चार वर्षों में आप लोगों ने तथा मेरी सरकार ने जो परिश्रम किया है उसमें पर्याप्त सफलता मिली है।

मेरी सरकार ने जो-जो प्रयत्न किये हैं उनकी वजह से आर्थिक प्रगति बढ़ती चली आयी है। कुछ क्षेत्रों में तो यह प्रगति असाधारण रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देहातों की आर्थिक उन्नति है। इस योजना की अवधि इस वर्ष ३१ मार्च को पूरी हो जायगी। आपको यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि इस अवधि के पहिले ही योजना के लगभग ९८ प्रतिशत लक्ष्यों को सरकार ने पूरा किया है।

पिछले पांच वर्षों में १६१ सामुदायिक और राष्ट्रीय प्रसार सेवा (N.E.S.) योजनाएं स्थापित की गयी हैं। इनसे १ करोड़ १० लाख की जनसंख्या और इस प्रदेश के १,११,००० में से २३,४०० से अधिक गांवों पर प्रभाव पड़ा है। इनके संबंध में हम लक्ष्य से १५ प्रतिशत आगे बढ़े हैं। पहली योजना से द्वितीय योजना के लक्ष्य भिन्न हैं किन्तु हम धन का जो व्यय इसमें करने वाले हैं उसके हिसाब से दूसरी योजना की सिद्धि २५० प्रतिशत होगी।

[श्री राज्यपाल]

द्वितीय योजना के अन्त तक मेरी सरकार ८७५ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड (N. E. S. Blocks) स्थापित करने की आशा करती है। इनके अन्तर्गत सर्वांगीण विकास खंड (Intensive development Blocks) भी होंगे। इनमें साढ़े चार करोड़ जनता, यानी लगभग सभी ग्राम क्षेत्र आजायेंगे।

सिंचाई के क्षेत्र में प्रथम योजना के लक्ष्यों का ९२ प्रतिशत प्राप्त किया जा चुका है। इसके फलस्वरूप सिंचाई किये गये क्षेत्र में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केवल इसी साधन से ५,५७,००० टन अधिक अन्न पैदा हुआ है। पांचवें वर्ष में जो सफलता मिलेगी वह निश्चित लक्ष्य के १८० प्रतिशत से कम न होगी। सरकार आशा करती है कि १९६१ तक पैदावार बढाकर १,३४,००,००० टन की जा सकेगी। इसका मतलब यह है कि यह पैदावार १९५१ की पैदावार से ४० प्रतिशत अधिक होगी।

प्रथम योजना की अवधि में बिजली की स्थापित शक्ति १,२१,५४९ किलोवाट से बढ़कर २,५७,९७५ किलोवाट हो गयी है। यह लक्ष्य का ११० प्रतिशत है। हम आशा करते हैं कि १९६१ तक हम बिजली की कुल ४,८८,४०० किलोवाट शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। बिजली की बढ़ी हुई शक्ति का उपयोग अन्य उपयोगों के अतिरिक्त ३४ नगरों और २०० ग्रामीण कस्बों व गांवों को बिजली पहुंचाने में किया जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिकतर कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहां प्रथम योजना की अवधि में बड़े औसत दर्जे के और कुटीर उद्योगों का थोड़ा सा ही विकास हुआ है किन्तु इधर कुछ समय से सरकार औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसलिये यह निश्चय किया गया है कि श्री बी० एम० बिड़ला की अध्यक्षता में प्रमुख उद्योगपतियों और विधान मंडल तथा संसद के सदस्यों की एक तथ्य निरूपण समिति (Fact Finding Committee) बनायी जाय। यह समिति नये उद्योगों के विकास के लिये सिफारिशें करेगी--खासकर इस दृष्टि से कि राज्य में उपलब्ध शक्ति के साधनों, कच्चे माल तथा खनिज पदार्थों आदि का कहां तक उपयोग किया जा सकता है।

सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि नये उद्योग तथा कारखाने खोलने के लिये बिजली के चार्ज तथा बिक्री कर की दरों में कमी की जाय और नये उद्योगों को स्थापित करने के लिये ऋण और उधार के रूप में अन्य सुविधायें दी जायं। आपको यह जानकर अवश्य ही प्रसन्नता होगी कि इस दिशा में किये गये प्रयत्न सफल हो रहे हैं।

अन्य नई योजनाओं के संबंध में भी जांच-पड़ताल की जा रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत रेलवे वैगनों, कोचों और अन्य वस्तुओं को बनाने का एक कारखाना भी है। गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क में उत्पादन का काम शुरू हो चुका है। विचार यह है कि अगले पांच वर्षों में इसकी उत्पादन शक्ति दूनी कर दी जाय। राज्य में उपलब्ध खनिज साधनों की पूरी जांच-पड़ताल करने और यह जानने के लिये कि नये उद्योगों की स्थापना में वे कहां तक ठीक हैं, भारत के भौमिक पर्यवेक्षण (geological survey) के कार्य को पूरा करने के लिये एक डाइरेक्टोरेट आफ जियोलाजी ऐन्ड माईनिंग स्थापित किया गया है। उद्यानों की उपज का अधिक से अधिक लाभ हम उठा सकें, इसके लिये रानीखेत में डाइरेक्टोरेट आफ फ्रूट यूटिलाइजेशन खोला गया है।

सरकार का विचार इलाहाबाद में छपाई कला का एक स्कूल खोलने का भी है इससे मेरी सरकार औद्योगिक विकास के एक बृहत् कार्यक्रम के संबंध में सोच सकेगी, और भारत सरकार से यह प्रार्थना कर सकेगी कि वह ऐसी सहायता दे जिससे राज्य का औद्योगिक विकास किया जा सके।

प्रथम योजना की अवधि में पक्की सड़कों की लम्बाई में १,२४९ मील की वृद्धि हुई है। इस प्रकार इस दिशा में लक्ष्य का ९५ प्रतिशत प्राप्त हो चुका है। द्वितीय योजना में

पक्की सड़कों पर नये सिरे से काम शुरू करने से लेकर उनके पुनर्निर्माण तक ३,७०० मील लम्बी सड़कें और बना ली जायेंगी।

इस राज्य के केवल ११ प्रतिशत भाग में वन हैं। किसी राज्य की सुदृढ अर्थ-व्यवस्था के लिये वन का जितना भाग रहना आवश्यक समझा जाता है उसकी तुलना में यह औसत बहुत ही कम है। इसमें भी गंगा तट प्रदेश में केवल २ प्रतिशत भाग में वन हैं। उत्तर प्रदेश वन संशोधन अधिनियम की सहायता से, जिसे आप लोगों ने अभी हाल ही में वनों के २ प्रतिशत की सुरक्षा के लिये पास किया है, राज्य सरकार इस क्षेत्र के उन थोड़े से वनों को सुरक्षित रखने में समर्थ हो सकेगी।

मुझे विश्वास है कि गांव सभाओं को दी गयी बंजर भूमि के कारण हमारे रक्षित वनों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुये मेरी सरकार ने इन वनों में निजी अधिकारों के बने रहने का भी निश्चय किया है।

मुझे बहुत खुशी है कि विधान मंडल ने गोवध बन्द करने के लिये विधि बनाकर गोसंवर्धन पर विशेष ध्यान दिया है। इस राज्य का पशुधन, जो न तो पर्याप्त ही है न जिसकी किस्म ही अपेक्षित स्तर की है, अच्छे जीवन के लिये जरूरी है। यह लक्ष्य प्रमुख ग्राम खंडों (Key Village Blocks) के जरिये पशुओं की नस्ल में सुधार करके, छुट्टे और दुर्बल पशुओं को गोसदनों में अलग रख कर पशुओं को रोग से मुक्त (immunization) करके और भेड़ों के फार्म खोलने से प्राप्त किया जा सकता है।

मेरी सरकार १५२ प्रमुख ग्राम खंडों की स्थापना कर चुकी है। इससे लक्ष्य के ९४ प्रतिशत की पूर्ति हुई है। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता होती है कि कृत्रिम गर्भाधान, जिसका शुरू में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध किया गया था, अब लोकप्रिय होता जा रहा है। द्वितीय योजना की अवधि में इस प्रकार के २६० खंड और बन जायेंगे। प्रथम योजना की अवधि में ३ गोसदन स्थापित किये जा चुके हैं। हमें आशा है कि द्वितीय योजना में ऐसे छोटे बड़े ७० गोसदन और बन जायेंगे।

अब तक ३१ जिलों में पशुओं को व्यापक रूप में रोग विमुक्त किया जा चुका है। द्वितीय योजना में राज्य के सभी जिलों में यह काम किया जायेगा। इसके अतिरिक्त १२ मेढ़ा केंद्र खोले जा चुके हैं। अगले पांच वर्षों में भेड़ों के १० अतिरिक्त फार्म, नर-मेढ़ों के ३० केंद्र तथा भेड़ विकास के ७२ विकास केंद्र खोले जा चुकेंगे।

ऊपर बतायी गयी बातों से आपको पता चलेगा कि हमारी आर्थिक प्रगति का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिसे राज्य सरकार से पूरा प्रोत्साहन न मिला हो। यह बात इससे भी प्रमाणित होती है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की वार्षिक औसत आय काफी बढ़ गयी है।

विधान मंडल द्वारा जमींदारी विनाश के संबंध में पास की गयी विधियों तथा गांव पंचायत अधिनियम में किये गये परिवर्तनों के कारण सामाजिक और आर्थिक महत्व की एक महान मूक क्रांति हुई है। उनके उपबन्धों तथा उनके अधीन प्रयुक्त अधिकारों ने मध्यवर्तियों का अन्त कर दिया है जो अर्द्ध सामान्तिक व्यवस्था के अवशेष थे, और कृषकों को उनकी भूमि पर स्थापित कर दिया है। उनके द्वारा व्यापक अधिकारों से सम्पन्न ७२,४२४ गांव पंचायतें स्थापित करने की व्यवस्था की गई है और उनके अन्तर्गत विस्तृत क्षेत्र हैं। इन विधियों द्वारा राज्य में एक बिल्कुल ही नयी सामाजिक और प्रशासकीय ढंग की व्यवस्था स्थापित हुई है।

मेरी सरकार प्राइमरी और सामान्य शिक्षा पर भी लगातार ध्यान देती रही है। समाज की सामान्य भलाई के अनुरूप किसी भी व्यक्ति को ऐसी शिक्षा देने के दृष्टिकोण से सभी स्तरों पर शिक्षा का पुनस्संगठन आरम्भ कर दिया गया है। इससे उसका

[श्री राज्यपाल]

अधिकतम विकास संभव हो सकेगा। इससे जीवन के तीन लक्ष्यों, वैयक्तिक विकास, नागरिक उत्तरदायित्व और सामाजिक उपयोगिता की पूर्ति के लिए तैयार हो जायगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में ५०० बेसिक तथा प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं। सरकार ने शिक्षा के स्तर को नया रूप देने के लिए गांवों के क्षेत्रों में भी २,१४७ जूनियर हाई स्कूलों को फिर से संगठित किया है। इनमें कृषि को प्रधानता दी गई है।

आपके द्वारा अभी हाल ही में बनाये गये अधिनियमों की सहायता से राज्य सरकार लखनऊ, इलाहाबाद तथा आगरा के विश्वविद्यालयों को अधिक प्रभावपूर्ण आधार पर स्थापित करने में समर्थ हो सकी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए भी आपको आने वाले वर्ष में विधेयकों पर विचार करना होगा। ये विधयक पहले से ही सदन के सामने रखे जा चुके हैं।

रुड़की विश्वविद्यालय को फिर से संगठित किया जा चुका है। यह विश्वविद्यालय देश के पुनर्निर्माण के लिए बड़ी संख्या में इंजीनियरों की व्यवस्था करने में सहायक होगा। साथ ही संभावना यह है कि यह विश्वविद्यालय एशिया तथा अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों का अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र भी बन जायगा।

आने वाले वर्ष में भातखंडे संगीत महाविद्यालय का भी पुनस्संगठन किया जायगा। द्वितीय योजना में संग्रहालय का एक नया भवन तैयार हो जायगा। यह राज्य में सांस्कृतिक शिक्षा का आधुनिक केन्द्र होगा।

मेरी सरकार पिछले वर्षों की तरह प्रशासकीय कार्यवाहियों और यदि आवश्यक होगा तो विधान द्वारा हिन्दी का विकास करती रहेगी।

सरकार ने बड़े पैमाने और औसत दर्जे के उद्योगों के श्रमिकों का कल्याण सदा ही अपने सामने रखा है। मनोरंजन, चिकित्सा, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में और भी अधिक कल्याण केंद्र खोले गये हैं। सरकार ने अनेक उद्योग केन्द्रों में पिछले ४ वर्षों में १४,३७८ घरों की व्यवस्था की है। आनेवाले वर्ष में ३ हजार घर और बनाये जायेंगे। कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना, जो कानपुर में आरम्भ की गयी थी, हाल ही में लखनऊ, आगरा और सहारनपुर में भी चालू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कुल ९७ हजार श्रमिक आते हैं। मेरी सरकार अगले ५ वर्षों में उसका ऐसे सभी नगरों में विस्तार करने का विचार कर रही है जिनकी श्रमिक जनसंख्या १ हजार से कम न हो।

उद्योगों के अभिनवीकरण (Rationalization) पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। आशा है कि श्री बिन्दबासिनी प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले अगस्त में नियुक्त की गई समिति अपनी रिपोर्ट आने वाले वर्ष में दे देगी। इस रिपोर्ट में जून, १९५४ में हुई स्टेट लेबर ट्राइपाटाइट टेक्सटाइल कांफ्रेंस में किये गये निश्चय की पृष्ठभूमि में विवरण दिये होंगे। इस समिति की रिपोर्ट को दृष्टि में रखते हुये मेरी सरकार ऐसी योजना चालू करने के लिये शीघ्र ही ऐसा कदम उठाने के लिये उत्सुक है, जो श्रमिकों के लिये न्यायसंगत होने के साथ उद्योग में भी शांति और प्रगति दोनों ही सुनिश्चित कर सकेगी।

पिछले वर्षा काल में बाढ़ों से जो अभूतपूर्व और व्यापक क्षति हुई है उससे मेरी सरकार को बड़ी चिन्ता रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर होने वाली विपत्तियों और बर-बादियों को कम करने के लिये शीघ्र बहुत सी योजनायें उठायीं। आप लोग जानते ही होंगे कि ये सब कार्य बहुत हद तक सफल रहे। इस असर पर सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को सहयोग की जिस भावना ने प्रेरित किया है उससे मेरी सरकार में बड़ी आशा उत्पन्न हुई है। बहुत से आपातिक बांध बनाने, गांवों के धरातल ऊंचा करने, नदियों के कटाव से

रक्षा की व्यवस्था करने और बाढ़ के पानी को इकट्ठा करने के लिये जलाशय बनाने के लिये तुरन्त कार्य किये गये। यह कार्य अगले वर्षा काल के आने तक पूरे हो जायेंगे। इन कार्यों पर लगभग ३ करोड़ रुपये की लागत बैठेगी। मेरी सरकार जलमग्न क्षेत्रों में सुधार करने के लिये व्यापक रूप से सर्वेक्षण (Survey) करा रही है। इस प्रयोजन क लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में २२ करोड़ ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

मेरी सरकार ने स्वास्थ्य तथा चिकित्सा की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया है। लखनऊ के गांधी मेमोरियल एवं संबद्ध अस्पतालों और दूसरी जगहों के अस्पतालों में भी बड़े-बड़े विस्तार किये गये हैं। इन अस्पतालों में सुविधायें देकर तथा राज्य के दूर से दूर बसे हुये गांवों के क्षेत्रों में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाने खोल कर चिकित्सा संबंधी सहायता बराबर दी जा रही है। गांवों के क्षेत्रों में पहले से ही ऐसे बहुत से दवाखाने खोले जा चुके हैं, और आने वाले वर्ष में ५० एलोपैथिक और १० आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाखाने और खोलने का विचार है। कई जगहों पर जच्चा-बच्चा कल्याण केंद्र खोले गये हैं। यह भी विचार है कि राज्य के कई अस्पतालों में विशेष उपचार की सुविधा प्राप्त करायी जाय जिससे सभी क्षेत्रों को यह सुविधा उचित रूप से पहुंचायी जा सके। बड़े पैमाने पर चिकित्सा की सुविधायें बढ़ा देने के कारण स्वभावतया प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग भी बहुत बढ़ गयी है। इसलिये सरकार ने कानपुर में एक नया मेडिकल कालेज खोलने का निश्चय किया है। इस मेडिकल कालेज में प्रति वर्ष १०० विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकेगी। पिछले वर्ष लखनऊ में जो स्टेट आयुर्वेदिक कालेज खोला गया था उसका भी विस्तार किया जायेगा और अगले वर्ष एक होम्योपैथिक मेडिकल कालेज भी आरम्भ किया जायगा। इसमें ६० पलंगों की व्यवस्था रहेगी।

जनता के कोष पर आधारित अस्पतालों में कार्यकुशलता बढ़ाने और उन्हें अधिक लाभप्रद बनाने के लिये उनका सरकार द्वारा उचित नियंत्रण करना आवश्यक है और सरकार राज्य के कुछ प्रमुख अस्पतालों में उचित कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

युवकों के स्वास्थ्य का विकास करने तथा तन्दुरुस्ती बढ़ाने में खेल-कूद का विशेष स्थान रहता है। पिछले वर्ष सितम्बर के महीने में सरकार ने एक यू० पी० कौंसिल आफ स्पोर्ट्स की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य यह था कि होनहार खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम तैयार किया जाय और अनेक स्तरों पर खेल कूद की कला में विकास किया जाय। स्टेडियम तथा प्रशिक्षण के दूसरे कैम्पों के निर्माण के लिये द्वितीय योजना में काफी धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

धीरे-धीरे नशाखोरी बन्द करने की अपनी नीति के अनुसार सरकार ने १ अप्रैल, १९५६ से सारे प्रदेश में गांजे का प्रयोग बन्द करने का भी निश्चय किया है। यह भी विचार है कि अफीम के प्रयोग को और अधिक सीमित किया जाय और अफीम केवल रजिस्ट्रीशुदा आदी नशाखोरों को ही दी जाय।

रिहन्द बांध का कार्य भी संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है। यह काम जून, १९६१ तक पूरा हो जायेगा। इसके अलावा सिंचाई की कुछ और बड़ी योजनायें हैं, जैसे रामगंगा रिजर्वायर, माताटीला बांध (दूसरा चरण), नानक सागर तथा शारदा सागर (दूसरा चरण)। ये योजनायें भी आने वाले वर्ष में हाथ में ले ली जायेंगी।

राज्य में खाद्य स्थिति भी बराबर संतोषजनक रही है। जो कुछ कंट्रोल रह गये थे वे भी पिछले मार्च में उठा लिये गये। १९५५ के पूर्वार्द्ध में गिरती हुई कीमतों ने सरकार के लिये एक नयी समस्या खड़ी कर दी थी। इससे यह जरूरी हो गया था कि "प्राइस सपोर्ट स्कीम" के अधीन भारत सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर अनाज की खरीदारी की जाय। हाल ही में आंशिक रूप से खरीफ की फसल विशेष अच्छी न होने के कारण

[श्री राज्यपाल]

अनाज की कीमतें बढ़ गयी थीं। उन्हें रोकने के लिये सरकार ने पहले से ही उचित कार्यवाही कर ली है। बड़ी मात्रा में गेहूं बिक्री के लिये दे दिया गया है। आशा की जाती है कि शीघ्र ही कीमतों की वृद्धि रोकी जा सकेगी और वे सामान्य स्तर पर आ जायेंगी।

नागरिक विकास कार्यों की योजनायें पूरी करने की दिशा में भी राज्य ने काफी कार्य किया है। इस वर्ष के अन्त तक राज्य के ७२ नगरों में वाटरवर्क्स की और २५ नगरों में सफाई रखने के लिये जल निकासी (Sanitary Drainage) की व्यवस्था की जायगी। १,००० से अधिक गांवों में नलों द्वारा पीने का अच्छा पानी देने का भी प्रबन्ध किया जायगा। कम आमदनी वाले लोगों के लिये घरों की योजना के अधीन ४,५०० घर भी तैयार किये जायेंगे।

द्वितीय योजना की अवधि में ऐसे सारे नगरों में जहां वाटरवर्क्स की व्यवस्था की गई है, जल निकासी की समुचित प्रणाली चालू करने तथा ३,००० और गांवों को नलों द्वारा पीने का अच्छा पानी देने की व्यवस्था करने का विचार है।

सरकार ने राज्य के ५ प्रमुख नगरों, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा तथा लखनऊ में शीघ्र से शीघ्र कारपोरेशन स्थापित करने का निश्चय किया है। आप लोग इस निश्चय को कार्यान्वित करने वाले विधेयकों पर इस सत्र (सेशन) में विचार करेंगे।

आप लोगों के सामने कुमायूं डिवीजन में भूमि सुधारों को आरम्भ करने के लिये एक अलग विधेयक रखा जायगा। विधान मंडल द्वारा पास किया गया जोत चकबन्दी अधिनियम २१ जिलों में लागू है। इसका अगले वित्तीय वर्ष में ५ और जिलों में विस्तार किया जायगा।

सहकारिता आन्दोलन ने संतोषजनक प्रगति की है। प्रथम योजना की अवधि में ११,५९३ सहकारी समितियां स्थापित की गयी थीं जबकि लक्ष्य ५,००० का था। द्वितीय योजना में इन समितियों के पूरे राज्य में स्थापित हो जाने की संभावना है। इससे उपलब्ध निधियां ४ करोड़ रुपये से बढ़कर ४० करोड़ रुपये हो जायेंगी और ब्याज की दर जो आज ९ से १२ प्रतिशत है वह ६ १/४ प्रतिशत रह जायेगी।

हाल ही में स्थापित समाज कल्याण विभाग ने महिला योजना को सात और जिलों में चालू किया है। इस प्रकार राज्य के कुल ३० जिलों में यह योजना चालू हो गयी है। इस योजना के अधीन महिलाओं के ४० युवती शिविर संचालित किये जा रहे हैं। कई स्थानों में ग्रामीण युवकों के लिये भी शिविर स्थापित किये जा रहे हैं। २४ जिलों में कल्याण संबंधी कार्यवाहियां चालू की गयी हैं।

समाज कल्याण की समस्याओं पर सरकार को सलाह देने के लिये हेडक्वार्टर्स में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण परिषद् की स्थापना की गयी है। आप से कहा जायगा कि आप उत्तर प्रदेश मंदिर तथा धार्मिक निबन्ध प्रशासन विधेयक और उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक व इसी प्रकार के विषयों से संबंधित विधेयकों पर विचार करें।

द्वितीय योजना में अनेक कल्याण संस्थायें स्थापित की जायंगी। इनमें अनाथ, महिलाओं और बच्चों के आश्रम आवारा व्यक्तियों के लिये कर्मगृह (Work Houses) तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिये संस्थायें भी होंगी।

राज्य में प्रगति का दूसरा संतोषजनक पहलू शांति और व्यवस्था की स्थिति है। इसमें डाकुओं के अनेक गिरोहों के समाप्त किये जाने, ग्राम सुरक्षा समितियों की स्थापना तथा अवैध आग्नेयास्त्रों और चुरायी गयी तथा नाजायज व्यापार की वस्तुओं को पुलिस द्वारा बरामद करने के लिये की गयी कार्यवाहियों के कारण विशेष सुधार हुआ है। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने पुलिस बल के भ्रष्टाचार विरोधी सेक्शन को पुनस्संगठित

करने के लिये कार्यवाही की है। पुलिस दल जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये भी कार्यवाही कर रहा है, जो कि आप स्वीकार करेंगे, जनतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य का एक शुभ लक्षण है।

सामुदायिक योजनाओं का आर्थिक पहलू के अतिरिक्त सामाजिक महत्व भी रहा है। इन योजनाओं ने गांवों की जनता को भाग्य के भरोसे रह कर प्रकृति की शक्तियों के सामने घुटने टेकने की प्रवृत्ति से मुक्त किया है और उन्हें नया उत्साह तथा नयी आशा दिलायी है। ये ऐसे गुण हैं जिनके कारण शक्तिशाली सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टिकोण का तेजी से विकास हो रहा है। श्रमदान ने, जो प्रायः एक नया धर्म है, उत्तर प्रदेश के निवासियों में संगठित होकर काम करने की क्षमता और एक नयी तथा अधिक आनन्ददायक व्यवस्था स्थापित करने की लगन पैदा कर दी है।

हाल के महीनों की एक उल्लेखनीय बात ५०,००० गाँव पंचायतों के संगठन के लिये निर्वाचनों का होना है। इनके लिये लगभग १८,००,००० सदस्य निर्वाचित किये जाने थे। ये निर्वाचन हमारे गाँवों द्वारा जिम्मेदारी के शांतिपूर्ण वातावरण में संचालित किये गये। बाढ़ पीड़ित जिलों में गांव पंचायतों के निर्वाचन जो कि अब तक रुके हुये थे, अब शीघ्र ही किये जायेंगे।

मुझे खुशी है, जैसी कि आप सब लोगों को भी होगी कि जनतंत्र के इस बड़े प्रयोग में ऐसी उल्लेखनीय सफलता मिली है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे गांव वालों में बढ़ती हुई चेतना से, जो कि पंचायतों के कारण पैदा होगी, हम सचमुच एक सामाजिक तथा जनतंत्रात्मक समाज स्थापित करने में समर्थ होंगे।

सामाजिक अर्थ व्यवस्था स्थापित करने तथा ज्यादा और कम वेतन पाने वाले इन दोनों प्रकार की सेवाओं के बीच के अन्तर को कम करने के लिये सरकार ने कम वेतन पाने वाले कुछ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों और जनता के कुछ वर्गों के लिये विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की है। गर्भवती स्त्रियों के लिये दूध की व्यवस्था करना इस दिशा में एक कदम है। हमारे साधनों को ध्यान में रखते हुये मेरी सरकार इस दिशा में बराबर प्रयत्न करती रहेगी।

हाल के महीनों की जिस सब से महत्वपूर्ण घटना ने हमारी जनता के चित्त को आंदोलित किया है वह "राज्य पुनस्संगठन आयोग" की रिपोर्ट तथा देश के विभिन्न भागों में उसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया हुयी थी, वह है। हम सबके लिये यह बड़े संतोष की बात है कि उत्तर प्रदेश को अखंड बनाये रखने के लिये आप लोगों ने जो रुख अपनाया है उसने हमारे राज्य को राष्ट्रीय एकता का गढ़ होने का स्थान प्रदान कर दिया है। देश के कुछ भागों में जो दुखद घटनायें हुयीं उन्होंने इस रुख के औचित्य की पुष्टि कर दी है। इन घटनाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता के पक्ष में अत्यन्त शुभ प्रतिक्रिया हुयी। यह बंगाल और बिहार के एकीकरण की इच्छा के रूप में प्रकट हुयीं। अपने प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में कहे गये इस सारगर्भित वाक्य के महत्व को हम कभी नहीं भूल सकते, और यह राज्य कभी नहीं भूला है कि "यदि भारत नष्ट हो जाता है तो कौन जीवित रहता है। यदि भारत जीवित रहता है तो कौन नष्ट होता है"।

हाल ही में इस राज्य को अनेक देशों के नेताओं और लब्ध-प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आगमन का आदर प्राप्त हुआ। ये यात्रायें इस बात का जीवित प्रमाण हैं कि हमारे प्रधान मंत्री द्वारा प्रतिपादित पंचशील में भारत की श्रद्धा है और धीरे-धीरे सारा संसार उस पर [illegible] करता जा रहा है। मुझे निश्चय है कि भविष्य में भारत का नेतृत्व, जो समस्त राष्ट्रों के बीच शांति, सभी देशों के लिये स्वतंत्रता तथा सभी लोगों के लिये श्रेष्ठतर जीवन की [illegible] करता है, मानव जाति के लिये एक नया युग पैदा करेगा।

[श्री राज्यपाल]

उस अवधि में, जबकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, मैंने उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५६, यू० पी० कृषि आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६, उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली तथा बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ प्रख्यापित किये थे। आप से अपेक्षा की जायगी कि आप इन अध्यादेशों के स्थान पर अधिनियमों की व्यवस्था करने के लिये तत्सम्बन्धी विधेयकों पर विचार करें। आपके विचारार्थ विधान सम्बन्धी कुछ अन्य प्रस्ताव भी रखे जायेंगे। सरकार आप से यह भी अनुरोध करेगी कि आप लोग अगले वित्तीय वर्ष के लिये बजट के तखमीने अनुमोदित करें।

जिन सफलताओं का मैंने ऊपर उल्लेख किया है वे प्रभावशाली हैं। मुझे विश्वास है कि आपके साथ-साथ जनता में भी यह विश्वास उत्पन्न होगा कि आपके पास जो सीमित समय था उसमें ही आपने कुछ हद तक उस लक्ष्य तथा उद्देश्य को प्राप्त करने में देश को आगे बढ़ाया है, जो संविधान ने हमारे सामने रक्खा है।

जयहिंद।

(११ बजकर ४० मिनट पर श्री राज्यपाल ने प्रस्थान किया और तत्पश्चात् विधान मंडल के सदस्य भी चले गये। विधान सभा की बैठक सभा मंडप में दिन के २ बजकर १५ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

तारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील में विद्यार्थियों से फीस वसूली के खिलाफ शिकायत

*१--श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)--क्या यह सही है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के विद्यार्थियों की, चाहे वह प्रदेश में कहीं भी किसी स्कूल या कालेज में शिक्षा पाते हों, फीस कुछ अवधि के लिये माफ की गई है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)--जी नहीं।

*२--श्री शिवपूजन राय--क्या सरकार को मालूम है कि तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर के ग्राम गोसलपुर, पाहदरिया, पहाड़ीपुर, मानसपुर, सेखअल्लीपुर, गड़ार पावही बाढ़पीड़ित गांवों के विद्यार्थियों की फीस माफ है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, केवल ग्राम गोसलपुर, सेख अल्लीपुर, गढ़ार तथा पाव पट्टी के विद्यार्थियों की फीस माफी की व्यवस्था की गई है। शेष तीन गांवों पहाड़ीपुर, पाहदरिया और मानसपुर के विद्यार्थियों को उक्त सुविधा नहीं दी गयी, क्योंकि इन ग्रामों में बाढ़ से कोई विशेष हानि नहीं पहुंची।

श्री शिवपूजन राय--जिन गांवों के विद्यार्थियों की फीस माफी की व्यवस्था की गई है उनसे आजकल जो फीस वसूल हो रही है, क्या वह वसूल की हुई फीस वापस की जायगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—अगर इस तरह से कहीं वसूली हुई होगी और जांच के बाद ऐसा मालूम होगा कि उस आदेश के विरुद्ध फीस वसूल हुई है तो जरूर वापस होगी।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि इस तरह की फीस वसूली हुई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, अगर माननीय सदस्य चाहें तो लिखकर शिकायत भेजें, जांच कराई जायगी।

*३-४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[१६ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले के बैरियाडीह ग्राम में कुएं बनवाने का आश्वासन

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि परगना नत्थूपुर, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम बैरियाडीह में पानी पीने के लिये कोई पक्का कुआं नहीं है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, मगर इस गांव में पक्का कुआं के शीघ्र निर्माण हेतु प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को मालूम है कि इस गांव के निवासी गढ़ही से पानी पीते हैं ?

डाक्टर सीताराम—हां, एक छोटे से नाले से पीते हैं, लेकिन कुआं बनाने का प्रश्न विचाराधीन है, ऐसी सूचना है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को मालूम है कि ग्रामवासियों को सन् ५५ में तालीम कमेटी की ओर से कुआं निर्माण के लिये सहायता का वादा किया गया था लेकिन वह सहायता प्राप्त नहीं हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—विचार हो रहा है, एक दरख्वास्त ऐसी आई थी।

पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन पर प्राप्त रायल्टी के सम्बन्ध में पूछताछ

*६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपा करके उन सभी प्रकाशकों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनको सन् १९५५ ई० में सरकार ने पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का अधिकार दिया है ?

डाक्टर सीताराम—अपेक्षित सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२—२५ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि ऐसे प्रकाशनों। कुछ रायल्टी सरकार को मिलती है ? यदि हां, तो उससे कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, मिलती है। लेकिन कितना रुपया वसूल हुआ यह इस वक्त मालूम नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार उक्त रायल्टी का रेट बता सकती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जहां तक मेरा ख्याल है दस प्रतिशत से लेकर, कई तरह की किताबें हैं उनके रेट अलग-अलग हैं, पहले ७-८ प्रतिशत लिया जाता था, अब १० प्रतिशत से ऊपर लिया जाता है।

हिन्दू इंटर कालेज, मुगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर का अनुदान

*७—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह हिन्दू इन्टर कालिज, मुंगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर को ग्रांट देने के प्रश्न पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लेने की प्रार्थना के कारण उत्तर छापा नहीं गया।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने लिख कर दे दिया है कि मैं अपने इस प्रश्न को वापस लेता हूं?

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आपका वह पत्र पहुंचा नहीं है लेकिन अब आप वापस ले रहे हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, चूंकि जवाब आ गया है तो पढ़कर सुना देने दीजिये तो अच्छा होगा। रोज भवन में सवाल पूंछे जाते हैं और उनके जवाब आते हैं।

श्री अध्यक्ष—जिस प्रश्न को वे वापस ले रहे हैं वह फिर से सदन में नहीं आ सकता।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, जवाब की जो प्रति उनके पास है वह उनसे वापस कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष—सदन को तो आप इत्तिला देना चाहते थे लेकिन उनको सूचना भी नहीं देना चाहते।

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, जब उन्होंने सवाल वापस ले लिया तो जवाब की प्रति भी वापस कर दें।

श्री अध्यक्ष—आप उनसे पत्र-व्यवहार कर लीजिये। (हंसी)

*८—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—[१६ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ जिले के साइकोलाजिकल सेंटर के साइकोलोजिस्ट के खिलाफ शिकायतें

*९—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिला के साइकोलॉजिकल सेंटर के साइकोलोजिस्ट के विरुद्ध कुछ शिकायतें उसके पास आयी हैं? यदि हां, तो क्या?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

शिकायतें यह हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने कुछ रेल के सफर का किराया और भत्ता गलत वसूल किया है और साइकोलोजिकल सेंटर के लिये जो सामान खरीदा गया है वह सरकार द्वारा स्वीकृत दुकान से नहीं खरीदा और उसे अपने घर में इस्तेमाल किया।

*१०—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या ब्यूरो आफ साइकोलाजी के डाइरेक्टर ने इन शिकायतों की कोई जांच की है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साइकोलाजिस्ट ने रेल किराया और भत्ता वसूल करने में क्या गलती की?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस पर जांच तो हो ही रही है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह शिकायतें कब आयीं ?

डाक्टर सीताराम--जनवरी, सन् १९५६ में आईं।

जिला बोर्ड, बरेली के शिक्षा अनुदान में कथित कटौती

*११--श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड, बरेली की शिक्षा ग्रांट में ७,००० रु० की कमी कर दी गई है ? यदि हां, तो कमी का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री नत्थूसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड को जो ग्रांट शिक्षा के लिये मिलती थी उसको काटकर कुछ इस्लामियां स्कूल बरेली को दे दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है कि स्कूलों को जो अनुदान दी जाती थी वह जिला परिषद् के द्वारा दी जाती थी। जब जिला परिषद् ने उसको लेने से इंकार कर दिया तो वह अब सीधे स्कूल को दी जाने लगी। और उतनी ही रकम जिला परिषद् से जो उसको मिलती थी वह अब स्कूल को सीधे मिलेगी। उस स्कूल के लिये जिला परिषद् के अनुदान में से कुछ काटा नहीं गया।

श्री नत्थूसिंह--क्या यह सत्य है कि यह ग्रांट लड़कियों के स्कूल में खर्च करने लिये दी जाती थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वह तो उत्तर में बतला दिया गया है कि इस्लामिया गर्ल्स स्कूल को जो ग्रांट दी जाती थी वह जिला बोर्ड के थ्रू दी जाती थी, अब उसको डाइरेक्ट दे दी जाती है।

जिला बोर्ड, बरेली को शिक्षा की विभिन्न मदों के लिए अनुदान

*१२--श्री नत्थूसिंह--क्या यह सही है कि जिला बोर्ड ने अपने तमाम लड़कियों के स्कूलों में अंग्रेजी के पढ़ाने का प्रबन्ध किया है और हर स्कूल में अंग्रेजी टीचर रख दी गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका अनुदान देती है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, सरकार इसके लिये कोई अनुदान नहीं देती।

*१३--श्री नत्थूसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१ से १९५५ तक अलग-अलग सालों में कितना-कितना अनुदान जिला बोर्ड, बरेली को शिक्षा के लिये दिया गया और वह रुपया खर्च हो गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २६ पर)

नैनीताल में हरिजनों के लिये भवन निर्माणार्थ स्वीकृत धनराशि

*१४--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष नैनीताल में जून जुलाई में हुये एक हरिजन सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि हरिजनों के मकानों के निर्माण की योजना के हेतु एक लाख रुपये की धनराशि दी जायेगी ?

डाक्टर सीताराम-- जी हां।

*१५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि उक्त धनराशि में से २५,००० रु० की धनराशि अभी तक योजना हेतु नहीं दी गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं। नगरपालिका, नैनीताल को हरिजन विभाग द्वारा ७५,००० रु० तथा म्युनिसिपल विभाग द्वारा ४५,००० रु०, इस प्रकार कुल १,२०,००० रु० की धनराशि शासन द्वारा भवन निर्माण हेतु दी जा चुकी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह जो धनराशि प्रश्न संख्या १४ और १५ के उत्तर में बतलायी गयी है यह हरिजनों के मकान बनाने के लिये दी गयी थी या केवल वाल्मीकि भाइयों के मकान बनाने के लिये ?

श्री हरगोविन्द सिंह---वाल्मीकि भी तो हरिजन ही हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसमें स्पष्ट कहा था कि वाल्मीकि हरिजनों के मकानों के लिये अलग रुपया खर्च किया जायगा और सभी हरिजनों के मकानों के बनवाने के लिये अलग से रुपया दिया जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---वह एक लाख रुपये की घोषणा की गयी थी। वह तो दे दी गयीं। यह तो उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं कि अलग से किसी के लिये दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह रुपया किसी हाउसिंग सोसाइटी के जरिये हरिजनों को ही सीधे खर्च करने के लिये दिया जायगा या कोई नगरपालिका उपयोग करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---नगरपालिका को दिया गया है। उसके जरिये खर्च होगा।

नैनीताल की नारायणनगर हरिजन बस्ती के लिए विद्युत प्रकाश की मांग

*१६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार के पास नैनीताल की नारायण-नगर हरिजन बस्ती के निवासियों की कोई मांग उक्त बस्ती में विद्युत प्रकाश पहुंचाये जाने हेतु आई है ? अगर हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है।

डाक्टर सीताराम---जी हां। प्रश्न विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि यह जो विद्युत प्रकाश देने का प्रश्न विचाराधीन है इस पर ३१ मार्च तक विचार हो जायगा और उन्हें अनुदान दिया जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अब यह तो कहना जरा मुश्किल है। उस पर विचार किया जा रहा है। जितना हो सकेगा किया ही जायगा।

आगरे में मिल बन्दी से मजदूरों में बेकारी

*१७---**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा यूनाइटेड मिल कब से बन्द है और उससे कितने मजदूर बेकार हो गये हैं ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---इस नाम की कोई मिल इस समय आगरे में नहीं है। अतः मजदूरों की बेकारी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत हिन्दी टाइप राइटर का की-बोर्ड

*१८---**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)---क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत हिन्दी टाइपराइटर के की-बोर्ड (Key Board) का उपयोग उन्होंने प्रदेशीय सरकारी विभागों के लिये स्वीकृत कर दिया है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

नोट---तारांकित प्रश्न १७ श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने पूछा।

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट के परीक्षार्थियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––मेरे पास श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है इस सम्बन्ध में कि हाई स्कूल और इंटरमीडियेट बोर्ड के परीक्षार्थियों की उपस्थिति के आवश्यक कोटा की पूर्ति के लिये बोर्ड के नियमानुसार १२ प्रतिशत तक विद्यालयों के प्रधानाचार्य पूर्ति कर देते थे और ४० प्रतिशत तक बोर्ड स्वयं पूर्ति करता था। इधर कई वर्षों से इस ५२ प्रतिशत के अलावा उत्तर प्रदेशीय सरकार बोर्ड के इस मामले में हस्तक्षेप कर के कुछ परीक्षार्थियों की कुछ प्रतिशत उपस्थिति को स्वयं करने लगी है।

"उसके कारण १५,००० परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा का प्रवेश पत्र दाखिल कर दिया है सन् १९५६ के हाईस्कूल और इंटरमीडियट परीक्षाओं से वंचित हो रहे हैं।"

इस विषय पर विचार करने के लिये वह चाहते हैं कि सदन का काम स्थगित किया जाय।

माननीय राज्यपाल जी का अभी अभिभाषण हो चुका है और आपके सामने अभी पूरक अनुदान भी आयेंगे। उन पर आम बहस होगी और २० तारीख से राज्यपाल के अभिभाषण पर भी बहस होगी। इन सब विषयों पर उस समय विचार किया जा सकता है। इसलिये मैं कामरोको प्रस्ताव को अर्जेन्सी नहीं समझता हूं और इस लिये इजाजत नहीं देता हूं कि वह पेश हो।

बनारस विश्वनाथ जी के मन्दिर में हरिजनों के प्रवेश पर रोक के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––इसी प्रकार माननीय झारखंडेराय जी का एक कामरोको प्रस्ताव बनारस के विश्वनाथ जी के मंदिर के सम्बन्ध में है जिसका सार है कि मंदिर में हरिजनों को जाने से रोका जाता है और इस पर वे लोग सत्याग्रह करने को तैयार हैं। यह भी प्रश्न उन्हीं विवादों के सिलसिले में आ सकता है और उसके ऊपर सरकार से जवाब लिया जा सकता है। माननीय सदस्य इसके ऊपर भी बहस कर सकते हैं। इस समय इस कारण मैं इसकी भी अर्जेन्सी नहीं देखता हूं और इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठ

श्री अध्यक्ष––अब माननीय राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ उसकी यहां की रीति के अनुसार माननीय सदस्यों को तो सूचना हो चुकी है। लेकिन मेरे लिये सूचना देने का नियम होने के कारण मैं प्रथा के अनुसार पहली लाइनें और आखीर की लाइनें पढ़े देता हूं जिसमें सदन का समय खर्च न हो दुबारा अभिभाषण के पढ़ने में और इसके ऊपर फिर वादविवाद होगा, ता० २० और २१ को। अभिभाषण का प्रारंभिक तथा अन्त का भाग इस प्रकार है––

"विधान परिषद् के सभापति जी, विधान सभा के अध्यक्ष और दोनों सदनों के सदस्यगण, मुझे इस वर्ष फिर आपको सम्बोधन करने का अवसर मिला, इससे मुझे बहुत खुशी है।

इस विधान मंडल के ४ वर्षों की छोटी सी अवधि पूरी हुई। साथ-साथ पंचवर्षीय योजना के भी चार वर्ष पूरे हुये। इस समय में आप लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है उसको स्थापित करने में साहसपूर्ण कदम उठाया है।.....

जिन सफलताओं का मैंने ऊपर उल्लेख किया है वे प्रभावशाली हैं। मुझे विश्वास है कि आपके साथ-साथ जनता में भी यह विश्वास उत्पन्न होगा कि आपके पास जो सीमित समय था उसमें ही आपने कुछ हद तक उस लक्ष्य तथा उद्देश्य को प्राप्त करने में देश को आगे बढ़ाया है जो संविधान ने हमारे सामने रक्खा है।

जय हिन्द"

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह–व्यवस्था विधेयक, १९५४, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने २१ सितम्बर, १९५५, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १४ अक्टूबर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १३ दिसम्बर, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का २३ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप-निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उप–निर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अभी १७ अक्टूबर, १९५५, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ५ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १७ दिसम्बर, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५५ का उत्तर प्रदेश का २४ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ८ सितम्बर, १९५५, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ सितम्बर, १९५५, की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ३० दिसम्बर, १९५५ को प्राप्त हो गयी और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का प्रथम अधिनियम बन गया ।

बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्टस (अवध में प्रसार) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २१ नवम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ४ जनवरी, १९५६ को प्राप्त हो गयी और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल–चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५५, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २३ दिसम्बर, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १२ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १० जनवरी, १९५६ को प्राप्त हो गयी और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १६ सितम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २१ नवम्बर, १९५५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १२ जनवरी, १९५६ को प्राप्त हो गयी और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष––मैं घोषणा करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २० दिसम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २२ दिसम्बर, १९५५, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २० जनवरी, १९५६ को प्राप्त हो गयी और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का ५ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ़ सप्लाईज़ (कंटीन्यूएंस आफ़ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष––मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज़ (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ नवम्बर, १९५५ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० जनवरी, १९५६ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २४ जनवरी, १९५६ को प्राप्त हो गयी और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५५

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २७–२८ पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९–३५ पर)

यू० पी० कृषि आयकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)– अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० कृषि आयकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३६–३८ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५६

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३९ पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, १९५६

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)––अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४०–४१ पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५६

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४२—४३ पर)

*उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५६

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—मैं उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक,* १९५६ पुरःस्थापित करता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में फुटकर संशोधन*

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४३२४ टी० एम०/३०—४४५६-टी०-५५, दिनांक २५ नवम्बर, १९५५, जिससे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९५० में संशोधन किये गये हैं सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९४० में फुटकर संशोधन*

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ (५) के अनुसार माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७४३५ (२)/१—अ—५११—ए—५५, दिनांक २१ दिसम्बर, १९५५ जिससे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी नियमावली, १९४० में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह १७ और १८ क्रम संख्या में जो ये नियम प्रस्तुत किये गये हैं इन पर विवाद के लिये आप तारीख निश्चित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—मैं भी कई दफा तारीखों के निश्चित करने के लिये कह चुका हूं। मैं समझता हूं कि विवाद करने के सम्बन्ध में माननीय परिवहन मंत्री को कोई आपत्ति तो नहीं होगी, लेकिन समय मुकर्रर होता नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि अब एक दूसरा तरीका इसके लिये अच्छा होगा कि इन नियमों के ऊपर जो संशोधन हों, वह कृपा करके अगर मेरे पास भेज दिये जायं, अगर आठ दस, पंद्रह रोज के अन्दर, तो अधिनियम की निर्धारित सीमा के अन्दर भी वे आ जायेंगे और फिर मुझे भी समय मुकर्रर करने में सहूलियत होगी। इससे मैं समझता हूं कि सदस्यों को भी सहूलियत हो जायगी और मैं माननीय मंत्री जी से भी कह दूंगा कि फलां तारीख को विवाद रख दिया जाय, क्योंकि वैसे आश्वासन देने से तो समय मुकर्रर हो नहीं पाता। मुझे हरदम यह लिखना पड़ता है कि कोई वक्त मुकर्रर करो और वक्त नहीं मुकर्रर होता, समय भी निकल जाता है। तो संशोधन पहले से आ जायं तो उन संशोधनों को देखते हुये मैं यह कह सकता हूं कि इन पर विचार अब कर लिया जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, जो नियम इस सदन के सामने रखे जाते हैं उन पर कार्यवाही पहले ही शुरू हो जाती है। अगर हम कोई संशोधन बाद को रखें और वह स्वीकार कर लिये गये तो उनका असर उन पर क्या पड़ेगा जिसके मुताबिक कि वह पहले ही कार्यवाही कर चुके। यानी हम तो यही समझते हैं कि

---

*छापे नहीं गये।

वह हमारे सामने इनफार्मेशन के लिये रखे जाते हैं, लेकिन होना यह चाहिये कि हम उनमें तबदीली भी कर सकें। तो अगर हम संशोधन दें और वह संशोधन इस सदन से स्वीकार हो जाय तो उस पर जो पहले से कार्यवाही शुरू हो जाती है उसका क्या असर होगा?

श्री अध्यक्ष—सदन में नियम आने के बाद १४ दिन के अन्दर आप संशोधन दे सकते हैं। अगर न दें तो आप का अधिकार निकल जाता है और सरकार यह कह सकती है कि हमें कोई समय मुकर्रर करने की आवश्यकता नहीं है। यह दिक्कत आती है। यद्यपि मैंने मौका दे दिया है, लेकिन उस बीच में जो कार्यवाही हो जाती है वह वैध समझी जायगी, क्योंकि अधिनियम में आप ने यह पहले ही तय कर रखा है कि नियम फौरन ही अमल में आ जायंगे। तो जब अमल में आ जायंगे तो वे अवैध नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप संशोधन कर देंगे तो उस रोज से नये संशोधित नियम लागू होंगे।

१९५५-५६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५५-५६ की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों का विवरण उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर तो दिन निश्चित ही है विवाद के लिये।

अब कोई कार्यक्रम नहीं रहा, इसलिये अब हम उठते हैं और सोमवार, तारीख २० को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर ४० मिनट पर सोमवार, २० फरवरी, १९५६ को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
१७ फरवरी, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

राजकीय प्रकाशन १९५५-५६ के मुद्रकों एवं प्रकाशकों की सूची

हमारे पूर्वज भाग १

१--मेसर्स महावीर प्रेस, किनारी बाजार, आगरा।

हमारे पूर्वज भाग २

१--मेसर्स मनोरमा बुक हाउस, १६८, कर्नल गंज, इलाहाबाद।
२--मेसर्स कालेज बुक स्टोर्स, अलीगढ़।

हमारे पूर्वज भाग ३

१--मेसर्स मदन मोहन एन्ड सन्स, अमरोहा गेट, मुरादाबाद।

प्राचीन भारत

१--मेसर्स इन्डियन प्रेस लिमिटेड, ३६, पन्नालाल रोड, इलाहाबाद।
२--मेसर्स आगरा बुक स्टोर्स, रावत पाड़ा, आगरा।

मध्य कालीन भारत

१--मेसर्स इन्डियन प्रेस लिमिटेड, ३६, पन्नालाल रोड, इलाहाबाद।
२--बैंगुअर्ड प्रेस, ८, लाउदर रोड, इलाहाबाद।

बेसिक रीडर भाग १

१--मेसर्स इलाहाबाद ला जरनल एन्ड को० लिमिटेड, इलाहाबाद।
२--मेसर्स जी० आर० भार्गव एन्ड सन्स, चन्दौसी, जिला मुरादाबाद।
३--भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़।
४--मेसर्स गंगा फाइन आर्ट प्रेस, ३६, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ।

बेसिक रीडर भाग २

१--मेसर्स इलाहाबाद ला जरनल एन्ड को० लि०, इलाहाबाद।
२--मेसर्स हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ग्यानवापी, बनारस।
३--मेसर्स यूनिवर्सल प्रेस, इलाहाबाद।
४--मेसर्स आर्ट प्रिन्टर्स, इलाहाबाद।
५--मेसर्स राम प्रसाद एन्ड सन्स, हास्पिटल रोड, आगरा।
६--मेसर्स इन्डियन प्रेस लि०, ३६, पन्नालाल रोड, इलाहाबाद।
७--मेसर्स श्री राम मेहरा, आगरा।

बेसिक रीडर भाग ३

१--मेसर्स जाब प्रेस, दी माल, कानपुर।
२--मेसर्स न्यू थाट प्रेस, १६८, चौक, इलाहाबाद।
३--मेसर्स श्री भारतीय प्रकाशन, १०, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ।
४--मेसर्स नवभारत प्रेस, नादान महल रोड, लखनऊ।
५--मेसर्स कल्यान प्रेस, जौनपुर।
६--मेसर्स गंगा प्रेस, अशरफ टोला, हरदोई।
७--मेसर्स बृज कौशल प्रेस, १३-ए०, म्योर रोड, इलाहाबाद।

बेसिक रीडर भाग ४

१--मेसर्स राजा रामकुमार बुक डिपो, हजरतगंज, लखनऊ।
२--मेसर्स संसार प्रेस, सी० बनारस।
३--मेसर्स सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, ६, हेमिल्टन रोड, इलाहाबाद।
४--मेसर्स नील कमल प्रकाशन, ७२, हजरतगंज, लखनऊ।
५--मेसर्स सर्यू प्रकाशन भवन, लखनऊ।
६--मेसर्स राम दयाल अग्रवाल, २१६, कटरा रोड , इलाहाबाद।
७--मेसर्स नूतन प्रिन्टिग प्रेस, १५, रावत पारा, आगरा।
८--मेसर्स दि अरुन प्रेस, पो० बा० नं० २७, मुरादाबाद।
९--मेसर्स रस्तोगी एन्ड को०, नीयर तहसील, मेरठ।
१०--मेसर्स सिंघल प्रिन्टिग प्रेस, बुलन्दशहर।
११--मेसर्स पुस्तक भवन, अशरफ़ टोला , हरदोई।

बेसिक रीडर भाग ५

१--मेसर्स प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, अमीनुद्दौला पार्क, लखनऊ।
२--मेसर्स रामचरनलाल अग्रवाल, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ।
३--मेसर्स किताब घर, मुस्लिम एजूकेशनल प्रेस, अलीगढ़।
४--मेसर्स शारदा प्रेस, न्यू कटरा, इलाहाबाद २।
५--मेसर्स हिन्दी भवन, कालपी।
६--मेसर्स स्वाधीन प्रेस, मानिक चौक, झांसी।
७--एम० गुलाब सिंह एन्ड सन्स, ३५, हेवेट रोड, इलाहाबाद।
८--मेसर्स एजूकेशनल एम्पोरियम, हेवेट रोड, लखनऊ।
९--मेसर्स भूगोल कार्यालय, ककरहा घाट, इलाहाबाद।
१०--मेसर्स ला पब्लिशिंग हाउस, ३३, शिवचरन लाल रोड, इलाहाबाद।
११--मेसर्स महेशनन्द एन्ड सन्स, अशोक नगर, लखनऊ।
१२--मेसर्स रामजी दास गुप्ता एन्ड सन्स, छल्लाबाजार, मथुरा।
१३--मेसर्स शिशु कार्यालय, शिशु आफिस, इलाहाबाद।

बेसिक अंकगणित भाग २

१--मेसर्स जाब प्रिन्टर्स, १९, हिवेट रोड, इलाहाबाद।
२--मेसर्स शिरोमणि ब्रदर्स, १५, रावतपाड़ा, आगरा।
३--मेसर्स ओंकार प्रेस, प्रयाग, इलाहाबाद।
४--मेसर्स मलहीपुर ब्रान्च प्रेस, सहारनपुर।
५--मेसर्स जीवन प्रिन्टिंग प्रेस, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ।
६--मेसर्स केदारनाथ रामनाथ, नियर तहसील, मेरठ।
७--मेसर्स कला मन्दिर, दारागंज, इलाहाबाद।
८--मेसर्स श्री सरयू वंशीपुरी, राष्ट्रीय छात्र प्रकाशन, आजमगढ़।
९--मेसर्स यूनाइटेड पब्लिशर्स, गोंडा।
१०--मेसर्स विद्या मंदिर, वरहूमानस, बनारस।
११--मेसर्स गुप्ता प्रिन्टिग प्रेस, देवरिया।

बेसिक अंक गणित भाग ३

१--मेसर्स भार्गव भूषन प्रेस, गायघाट, बनारस।
२--मेसर्स वेदान्त प्रिन्टिग प्रेस, २५, मारवाड़ी गली, लखनऊ।
३--मेसर्स रामवासी प्रेस, गनेशगंज, मिर्जापुर।
४--मेसर्स मोहन प्रकाशन मंदिर, कटरा, बाराबंकी।

५—मेसर्स शिवलाल अग्रवाल, हास्पिटल रोड, आगरा।
६—मेसर्स बाल संसार कार्यालय, बनारस।
७—मेसर्स नेशनल बुक हाउस, आगरा।

बेसिक अंकगणित भाग ४

१—मेसर्स बालभाग प्रेस, जौनपुर।
२—मेसर्स बाल संसार प्रेस, भदैनी, बनारस।
३—मेसर्स प्रभात प्रेस, नवचन्डी ग्राउन्ड्स, मेरठ।
४—मेसर्स अधिकारी प्रेस, फतेहगढ़।
५—मेसर्स सेन्ट्रल प्रेस, कानपुर।

बेसिक अंकगणित भाग ५

१—मेसर्स गया प्रसाद ऐन्ड सन्स, बांके विलास, सिटी स्टेशन रोड, आगरा।
२—मेसर्स साहित्य कुटीर, गुइन रोड, लखनऊ।
३—मेसर्स दाउम टेबुल प्रेस, बनारस।
४—मेसर्स नारायण प्रकाशन, ६, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
५—मेसर्स सरस्वती प्रकाशन, मथुरा।
६—मेसर्स प्रेम प्रेस, १३५, कटरा रोड, इलाहाबाद।
७—मेसर्स आगरा युनिवर्सिटी प्रेस, आगरा।
८—मेसर्स स्टार प्रेस, लखनऊ।

कृषि और सरल विज्ञान भाग १

१—मेसर्स मैकमिलेन कं० लि०, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ।
२—मेसर्स गुरुकुल भवन, अशरफ टोला, हरदोई।
३—मेसर्स प्रभात एलेक्ट्रिक प्रेस, खोजवा पुल, मुरादाबाद।
४—मेसर्स इन्डस्ट्रियल आर्ट प्रिन्टरी, रेल बाजार, कानपुर।
५—मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स, मंडी धनौरा, मुरादाबाद।
६—मेसर्स भारत भारतीय प्रकाशन, हापुर ब्रान्च, वेस्टर्न कचेहरी रोड, मेरठ।

कृषि और सरल विज्ञान भाग २

१—मेसर्स लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, हास्पिटल रोड, आगरा।
२—मेसर्स बोस्स ब्रदर्स एन्ड कं० लि० ७/३५, तिलक नगर, कानपुर।
३—मेसर्स लक्ष्मी प्रेस, दारागंज, इलाहाबाद।
४—मेसर्स राजकमल कला प्रकाशन, ४०, चुलानाला, बनारस।
५—मेसर्स सरस्वती सदन, मसूरी।
६—मेसर्स नेशनल प्रिन्टिंग एन्ड पब्लिशिंग हाउस, २६, स्टेशन रोड, लखनऊ।
७—मेसर्स राष्ट्र-भाषा भंडार, विद्यापीठ रोड, बनारस।

कृषि और सरल विज्ञान भाग ३

१—मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स एन्ड कं०, खुरजा, बुलन्दशहर।
२—मेसर्स शिवलाल अग्रवाल एन्ड कं०, हास्पिटल रोड, आगरा।
३—मेसर्स विश्वभारती, चारबाग, लखनऊ।
४—मेसर्स बन्सल प्रेस, छिपीलाल टोला, आगरा।
५—मेसर्स कुमार पब्लिशर्स, २८, ऐवट रोड, लखनऊ।
६—मेसर्स सूरज प्रिन्टिंग प्रेस, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ।

कृषि विज्ञान कक्षा ६ के लिये

१—मेसर्स उत्तर प्रदेश प्रिन्टिग प्रेस, २८, एडमान्स्टन रोड, इलाहाबाद।
२—मेसर्स बर्धमान पुस्तक भंडार, हास्पिटल रोड, आगरा।
३—मेसर्स अनुपम प्रेस, द्वारा दि पीपुल, लाल बाग, लखनऊ।

कृषि विज्ञान कक्षा ७ के लिये

१—मेसर्स अपर इन्डिया पब्लिशिंग हाउस, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ।
२—मेसर्स तेजकुमार प्रेस, लखनऊ।

उर्दू बेसिक रीडर भाग १

१—मेसर्स सरफ़राज़ कोमी प्रेस, नादान महल रोड, लखनऊ।

उर्दू बेसिक रीडर भाग २

१—मेसर्स एम० गुलाब सिंह एन्ड सन्स, इलाहाबाद।

उर्दू बेसिक रीडर भाग ३

१—मेसर्स नामी प्रेस, लखनऊ।

उर्दू बेसिक रीडर भाग ४

१—मेसर्स किताबघर, अलीगढ़।

उर्दू बेसिक रीडर भाग ५

१—मेसर्स नामी प्रेस, लखनऊ।

उर्दू बेसिक अंकगणित भाग २

१—मेसर्स नामी प्रेस, लखनऊ।

उर्दू बेसिक अंकगणित भाग ३

१—मेसर्स किताबघर, अलीगढ़।

उर्दू बेसिक अंकगणित भाग ४

१—मेसर्स किताबघर, अलीगढ़।

उर्दू बेसिक अंकगणित भाग ५

१—मेसर्स एम० गुलाब सिंह ऐन्ड सन्स, इलाहाबाद।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

जिला परिषद बरेली को १९५०–५१ से १९५४–५५ तक शिना के हेतु प्रदत्त राजकीय अनुदान की सूची

आवर्त्तक अनुदान	अनावर्त्तक अनुदान	किस कार्य के हेतु अनुदान दिया गया	अनुदान व्यय हो गया या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों?
रु०	रु०		
२,४७,४७०	५,०००	हिन्दुस्तानी शिक्षा के हेतु पाठशाला भवनों को विशेष मरम्मत के हेतु ..	हां
	१९५१–५२		
४,७५,४०६	..	हिन्दुस्तानी शिक्षा के हेतु ..	हां
७४२	..	विज्ञान कक्षाओं के हेतु ..	हां
५००	..	प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल, बलटरगंज को सहायता देने के हेतु ..	हां
..	६,०००	पाठशाला भवनों को विशेष मरम्मत के हेतु	हां
..	२,०००	भूतपूर्व राजकीय प्रारम्भिक पाठशालाओं के भवन निर्माणार्थ ..	हां
	१९५२–५३		
४,५७,०८९	..	हिन्दुस्तानी शिक्षा के हेतु ..	हां
५००	..	गांधी जूनियर हाई स्कूल अगरास को सहायता देने के हेतु ..	हां
..	४,०००	भूतपूर्व राजकीय प्रारम्भिक पाठशालाओं के भवन निर्माणार्थ ..	हां
	१९५३–५४		
४,४६,२५०	..	हिन्दुस्तानी शिक्षा के हेतु ..	हां
..	२,०००	प्रथम पंचवर्षीय योजनानुसार चुनी हुई प्रारम्भिक पाठशालाओं के सुधार के हेतु	हां
	१९५४–५५		
५,१४,१३०	..	हिन्दुस्तानी शिक्षा के हेतु ..	हां
..	६,०००	भूतपूर्व राजकीय प्रारम्भिक पाठशालाओं के भवन निर्माणार्थ	दिसम्बर ३, १९५६ तक उपयोग होना चाहिये
..	२,२२०	प्रथम पंचवर्षीय योजनानुसार चुनी हुई प्रारम्भिक पाठशालाओं के सुधार के हेतु	हां

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ १६ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६५५, पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) विधेयक, १६५५, संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था। उस पर हम लोगों ने जो उक्त समिति के सदस्य हैं और जिनके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, विचार किया और यह पाया कि विधेयक में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

यह विधेयक १२ अगस्त, १६५५, के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया था और समिति इसको फिर से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं समझती।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम
पन्नालाल गुप्त
शिवसुमरनलाल जौहरी
कृष्णचन्द्र जोशी
गुरुनारायण
शिवप्रसाद सिन्हा
अब्दुल लतीफ़
कालीचरण टंडन
शिवस्वरूप सिंह

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १६५४

[जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा अनुमोदित हुआ।]

कुछ प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्री–कर ऐक्ट, १६४८ में संशोधन करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्री–कर ऐक्ट, १६४८ को आगे उल्लिखित प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१––(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, १६५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २५, १६४८ में नयी धारा ४-क का रखा जाना।

२––संयुक्त प्रान्तीय बिक्री–कर ऐक्ट, १६४८ की धारा ४ के पश्चात् ४–क के रूप में निम्नलिखित नयी धारा जोड़ दी जाय :––

"निर्दिष्ट अवधि के लिये कुछ सामानों का बिक्री-कर से मुक्त किया जाना।

४–क––(१) जब राज्य सरकार की राय में किसी माल का उत्पादन बढ़ाने के निमित्त ऐसा करना आवश्यक हो तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे माल के सम्बन्ध में निर्माता (manufacturer) की निकासी (turn-over) ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष से कम, और पांच वर्ष से अधिक न हो, जो भी निर्दिष्ट कर दी जाय, धारा ३ अथवा धारा ३–क में किसी बात के होते हुये भी, बिक्रीकर से मुक्त रहेगी अथवा उस पर ऐसी कम दर से कर देय होगा जिसे राज्य सरकार निश्चित करे।

(२) राज्य सरकार के लिये यह बंध होगा कि वह विज्ञप्ति के दिनांक के पश्चात् उत्पादित ऐसे सारे माल के सम्बन्ध में या तो सामान्य रूप से, अथवा केवल ऐसे माल के सम्बन्ध में जो उक्त दिनांक के पश्चात् निर्मित अथवा स्थापित किसी फैक्टरी या कारखाने में उत्पादित हुये हों, उपधारा (१) के अधीन छूट (exemption) दे दें।"

उद्देश्य और कारण

यू०पी० बिक्री-कर ऐक्ट द्वारा जैसी कि उसकी वर्तमान शब्दावली है, राज्य सरकार को किसी माल के, या माल के वर्ग (class) के, उत्पादकों को बिक्री-कर से छूट देने या उन पर कम दर से बिक्री कर लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय महत्व का ऐसा माल जिसका अभी तक इस राज्य में उत्पादन नहीं हो सका है अथवा जिसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है, तैयार करने के लिये चालू किये गये नये उद्योगों को बिक्री-कर अदा करने के सम्बन्ध में रियायतें देने के निमित्त राज्य सरकार को अधिकार देने के लिये ऐसी व्यवस्था का होना आवश्यक है। यह रियायत मिलने पर न सिर्फ नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा अपितु रोजी-रोजगार के नये साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे।

तदनुसार, किसी माल अथवा माल के वर्ग के विशिष्ट उत्पादकों को बिक्री कर से छूट देने, या उन पर कम दर से बिक्री कर लगाने के लिये यू० पी० बिक्री कर ऐक्ट को उचित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है।

हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'घ'

(देखिवे पीछे पृष्ठ १९ पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, १९५३ को संशोधित किया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ३ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के खंड (२) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में, उपखंड (२) के पश्चात् उपखंड (३) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा १३२ में उल्लिखित भूमि, किन्तु वह भूमि पशुचर भूमि न हो।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ५ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की उप धारा ५ की उप-धारा (१) में शब्द "धारा के अन्तर्गत प्रख्यापन के प्रकाशित होने पर जिला अथवा स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी दशा हो, प्रकाशन के दिनांक से चकबंदी क्रियाओं (consolidation operations) के अन्तर्गत समझा जायगा" के स्थान पर शब्द "जब धारा ४ के अधीन गजट में प्रख्यापन प्रकाशित हो जाय तब जिला या स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, तदन्तर्गत निर्दिष्ट दिनांक से चकबंदी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ८ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (३) में शब्द "अनुसार" और "वार्षिक रजिस्टर" के बीच शब्द "नक्शे या" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा १० का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

अभिलेखों का पुनरीक्षण अथवा पुनः सर्वेक्षण।

"१०—(१) धारा ८ की उपधारा (२) (ख) के अधीन अथवा अन्यथा सिपारिश प्राप्त होने पर राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रख्यापन कर सकती है कि अभिलेखों का सामान्य या आंशिक पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण (resurvey) या दोनों ही कार्य किये जायेंगे और तत्पश्चात् यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ४ के उपबन्धों

के अनुसार सम्बद्ध गांव या गांवों का पुनरीक्षित नक्शा और खसरा तथा अधिकार अभिलेख उसी प्रकार तैयार किये जायेंगे मानों उक्त अधिनियम की धारा ४८ के अधीन तत्सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी कर दी गयी हो।

(२) विज्ञप्ति के दिनांक से वह जिला या स्थानिक क्षेत्र (local area) उस समय तक अभिलेख या सर्वेक्षण क्रियाओं या दोनों क्रियाओं के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, समझा जायगा जब तक कि क्रियाओं को समाप्त प्रख्यापित करने वाली दूसरी विज्ञप्ति न जारी हो जाय।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा १०—क का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा १०—क की उपधारा (१) में शब्द "धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु धारा ९ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से अथवा धारा १० के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी दशा हो, पूर्व" के स्थान पर शब्द "धारा ९ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से या जब अभिलेखों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रख्यापन किया गया हो तो धारा १० की उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी स्थिति हो, १५ दिन के भीतर" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १०-ख का संशोधन।

७—वर्तमान धारा १०—ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

खातों का संयोजन।

"१०—ख—किसी खाते के अधिकारी (entitled) खातेदार के लिये अपने खाते को ऐसी शर्तों पर किसी दूसरे खातेदार के खाते से सम्मिलित कर लेना (amalgamate) विधिपूर्ण होगा जो परस्पर तय हो जायं। खातेदार ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय चकबंदी अधिकारी के पास तदर्थ एक प्रार्थना-पत्र देगा और चकबंदी अधिकारी जहां तक व्यवहार्य होगा, चकबंदी की सामान्य योजना का ध्यान रखते हुये उसे कार्यान्वित करेगा।"

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ११ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(क) एक नकशा, जिसमें प्रत्येक गांव में गांव की भूमि का विभाजन या वर्गीकरण (division or grouping) अलग-अलग हारों (blocks) के रूप में दिखाया जायगा जो संख्या में तीन से अधिक न होंगे और जिन्हें निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् सीमांकित (demarcate) किया जायगा:—

(१) गांव में उत्पन्न की जाने वाली फसलों की किस्म और संख्या,

(२) सिंचाई की सुविधाओं का होना या उनका अभाव,

(३) मिट्टी की किस्म,

(४) अन्य ऐसे तथ्य जो आवश्यक प्रतीत हों।

(ख) समस्त गाटों की सूची, चाहे वे किसी खातेदार के खाते में सम्मिलित हों या न हों, जिसमें आवश्यकतानुसार निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :—

(१) प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल,

(२) गाटों की मिट्टी का वर्गीकरण (soil classification) जो चकबंदी समिति के परामर्श से नियत रीति से अवधारित किया गया हो,

(३) पिछले बन्दोबस्त रोस्टर (settlement roster) या पुनरीक्षण क्रियाओं में, इनमें से जो भी अंतिम हो, मिट्टी के वर्गों के लिये स्वीकृत लगान की दरें, जैसी और जहां भी वे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा चकबंदी समिति के परामर्श से नियत रीति से संशोधित की गयी हों,

(४) प्रत्येक गाटे का लगानी मूल्य (rental value),

(५) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं ।

(ग) प्रत्येक खातेदार के ऐसे समस्त गाटों की सूची जिसमें निम्न-लिखित प्रदर्शित होंगे:—

(१) चकबंदी से अपवर्जित (excluded) क्षेत्र,

(२) प्रत्येक हार (block) में चकबंदी के अन्तर्गत क्षेत्र तथा खंड (ख) के अनुसार अवधारित उसकी मिट्टी का वर्ग (soil class) और लगानी मूल्य,

(३) नियत रीति से आकलित लगान या मालगुजारी,

(४) उसके हिस्से का कुल क्षेत्र लगानी मूल्य और लगान,

(५) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं ।"

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा १५ का संशोधन ।

९—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(१) सहायक चकबंदी अधिकारी धारा १४ के अधीन सिद्धांतों का विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखेगा:—

(क) गाटों की प्रदिष्टि (allotment) उनके लगानी मूल्य के अनुसार की जाय,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चकबंदी संचालक की आज्ञा के बिना, उन गाटों के क्षेत्रफल में, जिनकी प्रदिष्टि प्रस्तावित हो और मूल गाटों के क्षेत्रफल में किसी भी दशा में २० प्रतिशत से अधिक का अन्तर न हो।

(ख) किसी हार (block) विशेष में यथासम्भव केवल उन्हीं खातेदारों को भूमि मिले, जिनकी वहां पर पहिले से ही कोई भूमि रही हो तथा खातों की चकबंदी के संचालक की अनुज्ञा बिना प्रत्येक खातेदार को आबादी के लिये विनिर्दिष्ट (earmarked) एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित क्षेत्रों को छोड़ कर प्रदिष्ट होने वाली चकों की संख्या गांवों में हारों की संख्या से अधिक न हो,

(ग) प्रत्येक खातेदार को यथासम्भव उसी स्थान पर भूमि प्रदिष्ट हो जहां उसके खाते का सबसे बड़ा भाग उसके कब्जे में हो,

(घ) एक ही परिवार के खातेदारों को यथासम्भव पास-पड़ोस वाले चक दिये जायं,

(ङ) चक प्रदिष्ट करने में खातेदार के निवासगृह (residential house) का स्थल (location) या उसके द्वारा की गयी उन्नति (improvement) यदि कोई हो, का यथाशक्य ध्यान रखा जाय ,

(च) छोटे-छोटे खातेदारों को यथाशक्य गांवों की आबादी के पास भूमि दी जाय,

(छ) कोई भी वर्तमान संहत (compact) खाता या फार्म, जिसका क्षेत्रफल सवा छः एकड़ या उससे अधिक हो, यथाशक्य विश्रंखलित (disturbed) या विभक्त (divided) न किया जायगा ।

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ में नयी धारा १६-क और १६-ख का बढ़ाया जाना ।

१०---मूल अधिनियम की धारा १६ के पश्चात् नयी धारा १६---क तथा १६-ख के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :---

चकबंदी क्रियाओं के दौरान में हस्तान्तरणों का प्रतिषेध ।

"१६-क---(१) धारा १६ के अधीन वक्तव्य (Statement) प्रकाशित होने के पश्चात् तथा धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक कोई भी खातेदार बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) की पूर्व प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० में किसी बात के होते हुये भी, अपने गाटे अथवा खाते के किसी अंश को, जो चकबंदी योजना के अन्तर्गत हो, विक्रय दान या विनिमय के रूप में हस्तांतरित न करेगा ।

(२) बन्दोबस्त अधिकारी उपधारा (१) में उल्लिखित अनुज्ञा प्रदान करेगा सिवाय उस दशा के जब कुछ कारणों के आधार पर, जो लिखित रूप में रखे जायेंगे, उसका यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित हस्तांतरण से चकबंदी योजना के विफल हो जाने की आशंका है ।

चकबंदी क्रियाओं के दौरान में भूमि के कृषि से विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्रतिषेध ।

१६-ख---(१) धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् तथा धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १४२ में किसी बात के होते हुये भी, कोई भी खातेदार बिना बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) की पूर्व प्राप्त लिखित अनुज्ञा के अपने उस समय तक कृषि, उद्यानकरण (horticulture) या पशु-पालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन (pisci-culture) तथा कुक्कुट--पालन भी हैं, से सम्बद्ध प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त खाते को किसी भवन अथवा घेरे (enclosure) के निर्माण के निमित्त या किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त न करेगा ।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करे तो दोष सिद्ध होने पर वह एक हजार रुपये से अनधिक के अर्थदंड का भागी होगा ।"

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २० का संशोधन ।

११---मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (३) में शब्द "उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द "उपधारा (३)" रख दिये जायं ।

१२—मूल अधिनियम की धारा २७ में—

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २७ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द "उक्त" और शब्द "अभिलेखों" के बीच में शब्द "नक्शों और " रख दिये जायं।

(२) उपधारा (२) में शब्द "तैयार किये गये" और शब्द "अधिकार–अभिलेख" के बीच में शब्द "नक्शों और" रख दिये जायं ।

१३—धारा २८ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के शब्द "फसल के प्रकार का ध्यान रखते हुये" निकाल दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २८ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा २९ में :—

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २९ का संशोधन ।

(१) उपधारा (१) का निम्नलिखित वाक्य निकाल दिया जाय:—

"उक्त खातेदार कब्जा करने के दिनांक से नौ मास के भीतर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिससे या जिनसे कब्जा संक्रामित किया गया हो, ऐसा प्रतिकर देगा और ऐसा न करने की दशा में उससे ऐसा प्रतिकर मालगुजारी के बकाये के रूप में (as arrears of land revenue) वसूल किया जा सकेगा।"

(२) उपधारायें (२) तथा (३) निकाल दी जायं ।

१५—मूल अधिनियम की धारा २९ के पश्चात् नयी उपधारा २९–क के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय:—

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ में नयी धारा २९-क का रखा जाना।

"२९–क—(१) जब कोई खातेदार, जिससे इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की वसूली होनी हो, तदर्थ नियत अवधि के भीतर प्रतिकर न दे तो उसके पाने का अधिकारी व्यक्ति (person entitled) वसूली के लिये उसे उपलब्ध अन्य किसी साधन के साथ-साथ कलेक्टर को, ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से प्राप्त धनराशि (amount due on his behalf) सरकार को देय मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जाय ।

(२) यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर उस दिनांक से तीन महीने के भीतर पूर्णतः या अंशतः अदा न किया गया हो जिस पर वह खातेदार, जिससे प्रतिकर की वसूली होनी हो, धारा २६ के अधीन कब्जा पाने का अधिकारी हो तो ऐसी धनराशि पर, जो इस प्रकार अदा न की गयी हो, ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जायगा ।"

१६—मूल अधिनियम की धारा ३३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ३३ का संशोधन।

"३३—(१) सहायक चकबंदी अधिकारी नियत रीति से चकबंदी का व्यय (cost) अवधारित करेगा और उसे उन व्यक्तियों में बांट देगा (distribute) जिन पर चकबंदी–आज्ञा का प्रभाव पड़ता हो,

व्यय (costs)।

(२) यदि राज्य सरकार निर्णय करे तो वह आज्ञा दे सकती है कि चकबंदी व्यय की प्रथम किस्त के रूप में कोई निर्दिष्ट धनराशि, नियत रीति से, अग्रिम वसूल की जाय ।

(३) इस धारा के अधीन व्यय-रूप में देय धनराशि मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल की जायगी ।"

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ४२ का संशोधन ।

१७---मूल अधिनियम की धारा ४२ में शब्द "सहायक संचालक (चकबंदी)" तथा "सहायक चकबंदी संचालक" के स्थान पर "उपसंचालक चकबंदी" रख दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ४८ का संशोधन ।

१८---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

अभिलेख मंगाने तथा आदेशों का पुनरीक्षण करने का चकबंदी संचालक का अधिकार ।

"४८---चकबंदी संचालक किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है, यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि मध्यस्थ (Arbitrator) से भिन्न उस अधिकारी ने, जिसने उस मामले का निर्णय किया है या उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, किसी ऐसे क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का प्रयोग किया है, जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था या विधितः प्राप्त किसी अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है या अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान (substantial) अनियमिततापूर्वक आचरण किया है, तो वह उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है, जिसे वह उपयुक्त समझे ।"

उ० प्र० अधिनियम सं ५, १९५४ की धारा ५२ का संशोधन ।

१९---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति ।

"५२---धारा २७ के अधीन नये नक्शे और अभिलेख तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार सरकारी गजट में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रचारित करेगी कि गांव में चकबंदी क्रियायें समाप्त कर दी गयी हैं और तदुपरान्त उक्त गांव चकबंदी क्रियाओं के अधीन न रहेगा ।"

उद्देश्य और कारण

जोतों की चकबंदी सम्बन्धी योजना इस समय राज्य के २१ जिलों में चल रही है। इन जिलों में, और विशेषतः, सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर के जिलों में, जहां प्रत्येक की एक-एक तहसील में चकबंदी के कार्य अपने अंतिम चरण में हैं, योजना की व्यावहारिक कार्या-न्वित से पता चला है कि इस अधिनियम में कुछ त्रुटियां रह गयी हैं। तदनुसार इन त्रुटियों के निवारणार्थ यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) की स्वीकृत के अनुकूल उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० में किसी बात के होते हुये भी, चकबंदी योजना के अन्तर्गत किसी भी गाटे या खाते के किसी अंश का विक्रय, दान या विनिमय के रूप में हस्तांतरण प्रतिषिद्ध किया गया है। बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) की पूर्व स्वीकृत के बिना चकबंदी कार्यवाहियों के समय भूमि पर भवन अथवा घरों के निर्माण पर भी प्रतिबन्ध (restrictions) लगाये गये हैं। दोनों ही प्रतिबन्ध किसी क्षेत्र में चकबंदी क्रियाओं के सम्पन्न होने की अवधि में ही प्रवृत्त होंगे तथा इनसे चालबाज अथवा उद्दंड तत्वों (unscrupulous or mischievous elements) द्वारा योजना को विफल करने की रोकथाम हो सकेगी।

शेष समस्त संशोधन प्रायः प्रक्रियात्मक हैं।

चरण सिंह,
माल मन्त्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९ पर)

यू० पी० कृषि आयकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६

[उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० २, १९५६ ।]

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० कृषि आयकर ऐक्ट, १९४८ को संशोधित करने का

अध्यादेश

राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० कृषि आयकर ऐक्ट, १९४८ को तुरन्त संशोधित करना आवश्यक है,

और राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा है,

अतएव संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर के राज्यपाल भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अध्यादेश बनाते हैं और प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अध्यादेश यू० पी० कृषि आयकर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४९ की धारा २ का संशोधन ।

२—यू० पी० कृषि आयकर ऐक्ट, १९४८ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदा से ही रखा हुआ समझा जाय :—

"(४) 'असिस्टेंट कलेक्टर इंचार्ज आफ ए सब-डिवीजन' (परगना के अधिकारी सहायक कलेक्टर) के वही अर्थ हैं जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में हैं तथा इसके अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का एडीनल असिस्टेन्ट कलेक्टर इंचार्ज आफ सब-डिवीजन भी है ।

(४—क) 'कलेक्टर' के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में हैं और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त एडीनल कलेक्टर भी है ।"

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४९ की धारा ३२ का संशोधन ।

३—मूल अधिनियम की धारा ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

दंड की धनराशि की वसूली तथा इस अधिनियम के अधीन देय किसी धनराशि की वसूली के समय ।

"३२—(१) कर निर्धारक अधिकारी की प्रार्थना पर कलेक्टर किसी धनराशि को जो धारा १७ अथवा ३१ के आदेशों के अधीन दंड के रूप में लगायी गयी हो अथवा ऐसी दशा में जब कोई कर-दाता बकाया में हो तो कृषि आय कर के बकाया को उसी प्रकार उगाहेगा मानो वह मालगुजारी का बकाया हो ।

(२) इस ऐक्ट के अधीन देय धनराशि को उगाहने की कोई कार्यवाही उस दिनांक से जब कि धारा ३० के अधीन निर्धारित अन्तिम किस्त देय हो एक वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रारम्भ नहीं की जायगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यहां पर उल्लिखित एक वर्ष की अवधि की गणना :—

(१) यदि करदाता धारा ३० की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन बकाया में न समझा गया हो तो जब तक उसकी अपील पर निर्णय न हो जाय उस दिनांक से की जायगी जिस पर अपील का निर्णय हो जाय।

(२) यदि किसी न्यायालय अथवा अन्य अधिकारी की आज्ञा से किसी मामले में वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी हो, उस दिनांक से की जायगी जिस पर आज्ञा वापस ली गयी हो।

(३) यदि किसी अधिकारी द्वारा कृषि आय कर अदा करने का दिनांक आगे बढ़ा दिया गया हो, उस दिनांक से की जायगी जिस तक अदायगी के लिये समय बढ़ाया गया हो।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड की किसी बात के प्रभाव स्वरूप उस अवधि में कमी न होगी जिसके भीतर वसूली की कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है, अर्थात् उस दिनांक से, जिस पर धारा ३० के अधीन निश्चित की गयी अन्तिम किस्त देय हुई हो, एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात्।"

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४९ की धारा ४४ के अधीन बनाये गये नियमों का संशोधन।

४—जहां मूल अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (२) के खंड (ड) के अधीन बनाये गये नियमों में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे करदाता (assessee) की दशा में जिसकी कृषि-आय एकाधिक कर निर्धारक अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में हों, कलेक्टर कर-निर्धारक अधिकारी होगा, तो "कलेक्टर" के अन्तर्गत "ऐडीशनल कलेक्टर" भी होगा तथा सदा समझा जायगा।

मान्यता (Validation)।

५—(१) सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अध्यादेश की धारा २ तथा ४ द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार या अधीन दी गयी सभी आज्ञाएं किये गये कार्य अथवा की गयी कार्यवाहियां, जारी किये गये निदेश अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार विधि की दृष्टि से उसी प्रकार ठीक और मान्य समझे जायेंगे मानों इस अध्यादेश की धारायें २ तथा ४ सभी सारवान दिनांकों पर प्रवृत्त रही हों।

(२) यदि प्रथम श्रेणी के एडीशनल असिस्टेन्ट कलेक्टर इंचार्ज आफ ए सब-डिवीजन (परगना के अधिकारी सहायक कलेक्टर) द्वारा धारा १४ के अधीन अधिकारों के अभिप्रेत प्रयोग में, या मूल अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (२) के खंड (ण) के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार एडीशनल कलेक्टर द्वारा किये गये किसी कर निर्धारण की मान्यता अथवा वैधता के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे, तो वह उसी प्रकार अवधारित किया जायगा मानो इस अध्यादेश की धारायें २ तथा ४ सभी सारवान दिनांकों पर प्रवृत्त रही हों।

कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन ।

६—यदि इस अध्यादेश के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय अथवा अधीकारी ने, मूल अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में एडीशनल कलेक्टर या प्रथम श्रेणी के एडीशनल असिस्टेन्ट कलेक्टर-इन्चार्ज आफ ए सब-डिवीजन (परगना के अधिकारी सहायक कलेक्टर) द्वारा किये गये किसी कर निर्धारण को इस आधार पर रद्द कर दिया हो कि कर निर्धारक अधिकारी को कर निर्धारण का अधिकार-क्षेत्र प्राप्त नहीं था तो कार्यवाही का कोई पक्ष (Party) इस अध्यादेश के प्रारम्भ के ९० दिन के भीतर किसी भी समय, न्यायालय या अधिकारी को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि वह इस अध्यादेश के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन (Review) करे और वह न्यायालय या अधिकारी, जिसे प्रार्थना-पत्र दिया जाय, तदनुसार कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन करेगा और पहले दी गयी आज्ञा को परिवर्तित अथवा पुनरीक्षित करते हुए, ऐसी आज्ञा, यदि कोई हो, देगा जो इस अधिनियम की धारा २ तथा ४ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी प्रार्थना-पत्र पर न्यायालय अथवा अधिकारी प्रार्थना-पत्र के तथा कार्यवाही के व्यय के सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित और ठीक समझे ।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी,
राज्यपाल ।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५६

[उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० १, १९५६]

कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० के निदेशों को संशोधित करने का

अध्यादेश

राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं जिनमें कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० में तुरन्त संशोधन करना आवश्यक है,

और राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है,

और संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त हो चुके हैं,

अतएव संविधान के उक्त अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अध्यादेश बनाते हैं और प्रख्यापित करते हैं :—

१—(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा २४० (ज) की उपधारा (२) के खंड (ख) में शब्द "प्रतिकर अधिकारी" के पश्चात् "कामा" रख दिया जाय और इसके पश्चात् शब्द "उन मामलों को छोड़ कर जिनमें धारा २४० (जज) लागू होती हो" रख दिये जायं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २४० (ज) का संशोधन।

३—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा २४० (ज) के पश्चात् नयी धारा २४० (जज) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"जब धारा २४० (ज) की उपधारा (२) के खंड (ख) में अभिदिष्ट आगम का प्रश्न ऐसी भूमि के सम्बन्ध में हो जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५४ की धारा ५ के अर्थ में चकबन्दी क्रियाओं के अधीन क्षेत्र में सम्मिलित हो तो प्रतिकर अधिकारी प्रश्न को अधिक्षेत्रयुक्त सिविल जज के पास अवधारणार्थ अभिदिष्ट करेगा जो तत्पश्चात् उसे उपर्युक्त अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त मध्यस्त के पास अवधारणार्थ अभिदिष्ट करेगा और उक्त अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली के उपबन्ध इस प्रकार किये गये अभिदेश पर उसी प्रकार भावी होंगे मानों वह ऐसा प्रश्न हो जो उस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में उठाया गया और अभिदिष्ट किया गया हो।" — उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी,
राज्यपाल।

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १९ पर)

उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, १९५६

[उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९५६]

उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ को संशोधित करने का

अध्यादेश

राज्यपाल महोदय का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिसमें कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ में तुरन्त संशोधन करना आवश्यक है ;

और राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा है;

और राष्ट्रपति से अनुदेश प्राप्त हो चुके हैं ;

अतएव, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर के राज्यपाल महोदय भारतीय गणतन्त्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रचारित करते हैं :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३९, १९५२ की धारा २ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) अधिनियम, १९५२ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदा ही रखा गया समझा जाय —

"(ग) सरकारी भूगृहादि (Government premises) का तात्पर्य ऐसे भूगृहादि से है जो राज्य सरकार का हो, उसके स्वामित्व में हो, उसके पास हो, या जिसे उसने अधिगृहीत (requisitioned) किया हो या पट्टे पर लिया हो"।

(२) खंड (घ) में स्पष्टीकरण के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय और सदा ही बढ़ाया गया समझा जाय—

"स्पष्टीकरण—कोई छोटी दूकान (stall), खुला हुआ छोटा खेमा (kiosk) या अन्य कोई सुदृढ़ निर्माण (structure) चाहे वह लकड़ी का बना हो या अन्य किसी सामग्री का, और जो इस रूप में प्रयुक्त होता हो अथवा प्रयुक्त होने के लिये अभिप्रेत हो, इस खंड के अर्थ में भवन है।"

३--मूल अधिनियम की धारा ९ के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर अर्थ विराम (;) रख दिया जाय और तत्पश्चात् प्रतिबन्ध के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३९, १९५२ की धारा ९ का संशोधन।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि संबद्ध भूगृहादि छोटी दूकान (stall), खुला हुआ छोटा खेमा (kiosk) या इसी प्रकार का अन्य कोई सुदृढ़ निर्माण हो तो कोई भी ऐसी स्थगन आज्ञा जारी नहीं की जायगी, किन्तु डिस्ट्रिक्ट जज, यदि अपील स्वीकार हो जाय तो, यह आदेश दे सकता है कि बेदखल किये गये व्यक्ति को भूगृहादि पर फिर से कब्जा दे दिया जाय।"

४--धारा ११ की उपधारा (१) में शब्द "द्वारा दी गई" तथा शब्द "आज्ञाओं" के बीच शब्द "अथवा धारा ९ के प्रतिबन्धक (proviso) के अनुसार फिर से कब्जा वापस पाने की डिस्ट्रिक्ट जज की" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ३९, १९५२ की धारा ११ का संशोधन।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी,
राज्यपाल।

'नत्थी ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ २० पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५६

[उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९५६]

कुछ प्रयोजनों के निमित्त लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२०, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ और लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ को संशोधित करने का

अध्यादेश

राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं जिनमें कुछ प्रयोजनों के लिये लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२०, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ और लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ को तुरन्त संशोधित करना आवश्यक है,

और राज्य विधान मण्डल का सत्र इस समय नहीं हो रहा है,

अतएव संविधान के अनुच्छेद २१३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अध्यादेश बनाते और प्रख्यापित करते हैं।

संक्षिप्त शीर्ष-नाम तथा प्रारंभ।

१—(१) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० ५, १९२० की धारा ४६ का संशोधन।

२—लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा ४६ के प्रतिबंधात्मक (Proviso) में शब्द "agricultural or other technical institution established and maintained by the University" के स्थान पर शब्द "medical, agricultural or technical institution established or maintained by the University or by the State Government." रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५५ की धारा ४३ का संशोधन।

३—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ४३ की उपधारा (१)—

(१) के खंड (ख) में आये हुये शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अठारह मास" रख दिये जायं।

(२) अन्त के प्रतिबन्धक में आये हुये शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "अठारह" रख दिया जाय।

४—लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ४३ की उपधारा (१)—

(१) के खंड (ख) में आये हुये शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अठारह मास" रख दिये जायं।

(२) अन्त के प्रतिबन्धक शब्द में आये हुये शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "अठारह" रख दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ६, १९५५ की धारा ४३ का संशोधन।

कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २३५ एल० ए०—१९५६-७९६।